[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सं. 12/2015-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एनटी)

नई दिल्ली, दिनांक 30 अप्रैल, 2015

सा.का.नि. (अ) - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 और वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार सिनेवैट क्रैडिट नियमावली, 2004 में और आगे संशोधन करते हुए एतदद्वारा निम्नलिखित नियमों को बनाती है, अर्थात:-

1. (1) ये नियम सिनेवैट क्रैडिट (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2015 कहलाएंगे।

(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. सिनेवैट क्रैडिट नियमावली, 2004 में (इसके पश्चात उक्त नियमों के रूप में संदर्भित), नियम 3 के उप नियम (7) में, खंड (ख) में, द्वितीय परंतुक के पश्चात निम्नलिखित का समावेश किया जाएगा, अर्थात:-

"बशर्ते यह भी कि मार्च, 2015 के प्रथम दिवस को अथवा उसके पश्चात अंतिम उत्पाद के विनिर्माण के कारखाने में प्राप्त इनपुट्स अथवा पूंजीगत सामानों पर भुगतान किया गया शिक्षा उपकर और माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा उपकर का क्रैडिट उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अन्तर्गत उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क की अदायगी हेतु प्रयोग किया जा सकता है:

बशर्ते यह भी कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में अंतिम उत्पाद के निर्माण के कारखाने में प्राप्त पूंजीगत सामानों पर अदा किया गया शेष पचास प्रतिशत शिक्षा उपकर और माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा उपकर का क्रैडिट उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उत्पाद शुल्क की अदायगी हेतु प्रयोग किया जा सकता है:

बशर्ते यह भी कि मार्च, 2015 के प्रथम दिवस को अथवा उसके पश्चात अंतिम उत्पाद के निर्माता द्वारा प्राप्त इनपुट सेवाओं पर अदा किया गया शिक्षा उपकर और माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा उपकर का क्रैडिट उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उत्पाद शुल्क की अदायगी हेतु प्रयोग किया जा सकता है।"

[फा.सं. 334/5/2015-टीआरयू]

(अक्षय जोशी)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: मूल नियम सा.का. नि. संख्या 600 (अ) दिनांक 10 सितम्बर, 2004 के तहत अधिसूचना सं. 23/2004-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एनटी) दिनांक 10 सितम्बर, 2004 के अन्तर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. संख्या 151 (अ), दिनांक 1 मार्च, 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना सं. 6/2015- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एनटी) दिनांक 1 मार्च, 2015 के अन्तर्गत अंतिम बार संशोधित किए गए।